नारळ विकास बोर्डाच्या योजनेची सन २०२४-२५ मध्ये राज्यात अंमलबजावणीसाठी ₹१२८.९२२ लाख इतक्या रक्कमेच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय क्र. नावियो-२०२४/प्र.क्र.१२९/९-अं,

> मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक : ११ मार्च, २०२५

वाचा:-

- 9) नारळ विकास मंडळाचे इंग्रजी F.No.HO-DEV01/5/2024 (E- 3064), Dated: 30.05.2024 चे पत्र.
- २) संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा.क्र.कृआ/फलो-२/नावियो/ ना.वि.यो. आ. प्र. मान्यता/१६९७३/२०२४, दिनांक २८ जून, २०२४
- ३) कृषि उप संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा.क्र./कृ.आ./फलो-२/नावियो/र-२२/२०२५, दि. १६.०१.२०२५

प्रस्तावना:-

नारळ विकास मंडळ, कोची पुरस्कृत नारळ विकास योजनेंतर्गत राज्यात सन २०२४-२५ मध्ये राज्यात राबवावयाच्या विविध योजना/घटकांचा आर्थिक/भौतिक बाबींसह सविस्तर तपशील नारळ विकास बोर्डाच्या दिनांक ३०.०५.२०२४ च्या पत्रातील अनुसूची-१ मध्ये दिला आहे. नारळ विकास मंडळ, कोची यांनी त्यांच्या दिनांक ३०.०५.२०२४ च्या पत्रान्वये सदर योजना राज्यात राबविण्यासाठी रक्कम ₹१२८.९२२ लाख इतक्या रक्कमेस प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. त्यामध्ये नारळ विकास मंडळाचा हिस्सा ₹११२.८०९ लाख इतका असून योजना/घटकिनहाय आर्थिक लक्षांकाचे वाटप अनुसुचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना व सर्वसाधारण प्रवर्गनिहाय सुनिश्चित केलेले आहे. सदर योजनेंतर्गत राज्याने राबवावयाच्या घटक/बाबींचा उल्लेख केलेला आहे. योजना अंमलबजावणीच्या मार्गदर्शक सूचना सोबत पाठविल्या आहेत. सदर योजनेची राज्यामध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाची प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर नारळ विकास मंडळाचा निधी उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याप्रमाणे शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे.

शासन निर्णय:-

केंद्र शासन पुरस्कृत नारळ विकास मंडळ, कोची यांनी संदर्भ क्र. १ च्या पत्रान्वये दिलेली मान्यता विचारात घेता नारळ विकास योजना सन २०२४-२५ मध्ये राज्यात राबविण्यास केंद्र हिस्सा ₹ ११२.८०९ लाख, राज्य हिस्सा ₹ १६.०० लाख आणि लाभधारक शेतकरी हिस्सा ₹ ०.११ लाख अशा एकूण ₹१२८.९२ लाख (रुपये एक कोटी अट्ठावीस लाख ब्याण्णव हजार फक्त) इतक्या रक्कमेच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

- २. नारळ विकास मंडळ, कोची पुरस्कृत नारळ विकास योजनेंतर्गत राज्यात सन २०२४-२५ मध्ये राज्यात राबवावयाचा कृति आराखडा या शासन निर्णयासोबत "अनुसूची-१" म्हणून जोडला आहे. या कृति आराखड्यातील मंजूर घटकानुसार योजनेची अंमलबजावणी करावी.
- 3. नारळ लागवडीचे क्षेत्र कोकण विभागात जास्त असल्यामुळे विभागीय कृषि सहसंचालक, ठाणे यांचे अधीनस्त असलेल्या लेखाधिकारी, विभागीय कृषि सहसंचालक ठाणे यांचे कार्यालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच संचालक (फलोत्पादन) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
- ४. या योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता उद्दिष्ट निहाय मागदर्शक सूचना निर्गमित करण्याकरिता तसेच ही योजना राबविण्यासाठी लागणारा निधी नारळ विकास मंडळ, कोची यांचेकडून उपलब्ध करुन घेण्याची कार्यवाही करण्याकरिता संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे.
- ५. संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी नारळ विकास मंडळाचा निधी उपलब्ध झाल्यानंतर राज्य हिस्साचा निधी वितरण करण्यासाठी स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करावा.
- ६. गत दोन वर्षात वैयक्तीक लाभ दिलेल्या लाभधारकांची यादी (भ्रमणध्वनी क्रमांकासह) तालुका कार्यालये/ पंचायत समिती/ जिल्हाधिकारी कार्यालयात लावण्यात यावी. तसेच ती यादी कृषि आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर प्रकर्षाने प्रसिद्ध करावी.
- ७. योजनेच्या अंमलबजावणीचा मासिक व तिमाही अहवाल तसेच वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्रे नारळ विकास मंडळास व शासनास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपूर्वी सादर करण्यात यावीत.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२५०३१११८२०४१४१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

(वैशाली तांबे) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

- १) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई.
- २) मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ४) मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई.
- ५) मा. सभापती/उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई.
- ६) मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानमंडळ, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई.

- ७) मा. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
- ८) प्रधान सचिव (कृषि) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- ९) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.
- १०)अध्यक्ष, नारळ विकास बोर्ड (कृषि मंत्रालय, भारत सरकार), केरा भवन, एसआरव्हीएचएस रोड, कोची-६८२०११
- ११) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
- १२) कुलगुरु, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीट, दापोली.
- १३)महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर
- १४) संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
- १५) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई
- १६) उप संचालक, नारळ विकास बोर्ड, टाणे.
- १७) विभागीय कृषि सह संचालक, कोकण विभाग, ठाणे.
- १८) उद्यानविद्या प्रमुख, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली
- १९) जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, ठाणे, पालघर, रायगड (अलिबाग), रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग (ओरोस)
- २०) कक्ष अधिकारी (२-अे), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- २१) कार्यासन ९-अ, निवडनस्ती

शासन निर्णय क्र. नावियो-२०२४/प्र.क्र.१२९/९-अे, दि. ११.०३.२०२५ रोजीचे सहपत्र **"अनुसूची-१"**

नारळ विकास मंडळ, कोची पुरस्कृत नारळ विकास योजनेचा सन २०२४-२५ चा कार्यक्रम (महाराष्ट्र राज्य)

| अ.क्र. | अ.क्र. योजनेचे नांव | | अंमल- | | | उद्दीष्ट | | | | | | |
|--------|------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|------|----------|----------|--|
| | | बजावणी | गौतिक | | आर्थिक (रु. लाखात) | | | | | | | |
| अ | न राज्यनिहाय योजनेचे | | यंत्रणा | | | एकूण | राज्याचा | मंडळाचा हिस्सा | | | | |
| | बाबनिहाय | | | | | CI. | हिस्सा/अंमलबजावणी | एकूण | अ. | अ. | सर्व.सा. | |
| | विभाजन/वाटप | | | | | | यंत्रणेचा हिस्सा | - 4 | जाती | जमाती | | |
| 9 | लागव | ड साहित्य उत्पादन | व वितरण | | | | | | | l . | | |
| | अ) | बिजोत्पादन | | | | | | | | | | |
| | | प्रात्यक्षिके | ना.वि.बो | ४० | हे. | २७.०० | 0.00 | २७.०० | 0.00 | २७.०० | 0.00 | |
| | | (DSP) प्रक्षेत्र | | | _ | , | | · | | | | |
| | ৰ) | विभागीय नारळ | | | | | | | | | | |
| | ,, | रोपवाटिकांची | | | | | | | | | | |
| | | स्थापना | | | | | | | | | | |
| | | (40:40) | | | | | | | | | | |
| | l) | राज्य | राज्य | | लाख | | | | | | | |
| | 17 | शासनामार्फत | शासन | 0.40 | रोपे | 9६.०० | ٥.00 | ٥٠.٥٥ | 9.33 | ०.६९ | ५.९८ | |
| | II) | कृषि विद्यापीठ, | | | लाख | | | | | | | |
| | | भा.कृ.ऊ.सं. | इतर | 0.20 | रापे | ६.४० | 3.20 | 3.२० | 0.43 | ०.२८ | २.३९ | |
| | | मार्फत | | | XI 1 | | | | | | | |
| | III)) | नारळ | | | | | | | | | | |
| | | बोर्डामार्फत | | | लाख | | | | | | | |
| | | बिजोत्पादन | ना.वि.बो | 0.30 | रोपे | ९.६० | ٥٥.8 | ٥٠.٧ | ٥.८٥ | 0.89 | 3.48 | |
| | | प्रात्यक्षिके | | | N14 | | | | | | | |
| | | (DSP) प्रक्षेत्र | | | | | | | | | | |
| | | एकूण विभागीय | | | लाख | | | | | | | |
| | | नारळ | | 9.00 | रोपे | ३२.०० | १६.०० | 98.00 | २.६६ | ٩.३८ | 99.९७ | |
| | | रोपवाटिका | | | N14 | | | | | | | |
| | क) | लहान नारळ | | | | | | | | | | |
| | | रोपवाटिकांची | | | | | | | | | | |
| | | स्थापना | | | | | | | | | | |
| | प्रथम हप्ता | | ना.वि.बो | 3.00 | संख्या | 9.40 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | |
| | एकूण लागवड साहित्य वितरण | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ६०.५० | १६.०० | 88.40 | २.६६ | २८.३८ | 93.80 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ? | * नारव | ठ लागवडीखालील क्षे | त्रात वाढ घड | वून आणणे | | | | | | | | |
| | अ) | प्रथम हप्ता | ना.वि.बो | ξ00 . 00 | हे. | 98.40 | 0.00 | 98.40 | 3.28 | ٩.६८ | १४.५९ | |
| | ৰ) | देखभाल | ना.वि.बो | 89.03 | हे. | २.३८ | 0.00 | ۲.३८ | ०.०६ | ٥.0९ | २.२३ | |
| | एकूण | | | ξ00.00 | हे | २٩.८८ | 0.00 | २٩.८८ | 3.30 | 9.00 | १६.८२ | |
| 3 | एकारि | मेक शेतीद्वारे नारळ | बागांच्या उत्प | गदकतेत वाद | इ घडवून आप | गण्याचा कार्यः | क्रम (LODP) | | | | | |
| | | प्रात्यक्षिक क्षेत्राची | | | | | | | | | | |
| | | स्थापना करणे (हे) | | | | | | | | | | |
| | | १ ना.वि.बो. | ना.वि.बो | | | | | | | | | |
| | | मार्फत | | | | | | | | | | |
| | | शेतकरी | ना.वि.बो | 940.00 | हे. | २६.२५ | 0.00 | २६.२५ | 8.3६ | २.२६ | १९.६४ | |
| | | शेतात | | 0/11 | 7 | 20.01 | | 26.24 | 0.20 | 2.25 | 00.541 | |
| | | LODP एकूण | | 940.00 | हे. | २६.२५ | 0.00 | २६.२५ | ४.३६ | २.२६ | १९.६४ | |
| | ब. सेंद्रिय खत | | | | | | | | | | | |
| | | युनिटची स्थापना | | | | | | | | | | |
| | | • | | | | | | | | | | |
| L | LL | | l . | | | | | | | <u> </u> | | |

| | | ٩ | शेतकरी | ना.वि.बो | 90.00 | युनीटची | ६. ०० | 00.00 | ξ.oo | 9.00 | 0.42 | 8.89 |
|-----|--|---|---------------|----------|--------|-----------|---------------|-------|---------|-------|---------------|--------------|
| | | | शेतात | | | संख्या | | | | | | |
| | | | एकूण सेंद्रिय | | 90.00 | | 6. 00 | 00.00 | ξ.00 | 9.00 | 0.42 | 8.89 |
| | | | युनिट | | | | | | | | | |
| | एकात्मिक शेती एकूण | | | | | | ३२.२५ | 0.00 | ३२.२५ | ५.३६ | 2.00 | २४.१२ |
| 8 | केरा सुरक्षा विमा योजना | | ना.वि.बो | 980 | चढणारे | 0.43 | 0.00 | ٥.8٩ | 0.00 | 80.0 | 0.39 | |
| | | | | | | मनुष्य | | | | | | |
| ч | | माहिती तंत्रज्ञान विस्तार ना.वि.बो | | | २० | कार्यक्रम | 4.33 | 0.00 | 4.33 | ٥.८८ | ०.४६ | 3.9८ |
| | | कार्यक्रम | | | | | | | | | | |
| દ્દ | विपणन सांख्यिकी आणि | | | ना.वि.बो | ۷ | कार्यक्रम | 88.5 | 0.00 | 88.5 | 9.80 | €0.0 | ६. ३٩ |
| | EPC | + TN | MOC अंतर्गत | | | | | | | | | |
| | विपण | न | | | | | | | | | | |
| | एकूण | | | | | | १२८.९२२ | १६.०० | ११२.८०९ | 93.६६ | ३४. १४ | ६५.०१ |
| ٩. | राज्याच्या कृषि विभागामार्फत कार्यान्वित | | | | | | 98.00 | ٥٠.٥ | ٥٠.٥٥ | 9.33 | ०.६९ | ५.९८ |
| ٦. | ~ | कृषि विद्यापीट/भा.कृ.अु.स./ कृ.वि.के. यांच्याकडून कार्यान्वित | | | | | ٤. ४ ० | 3.२० | 3.२० | 0.43 | ०.२८ | २.३९ |
| ₹. | | अ) बोर्डाकडून थेट कार्यान्वित-राज्य केंद्र | | | | | ६९.९२ | 0.00 | ६९.८१ | 99.00 | ५.७६ | 43.08 |
| | ब) बोर्डाकडून थेट कार्यान्वित- | | | | | | ३६.६० | 8.८० | ३٩.८० | ٥.८٥ | રહ.૪૧ | ३.५९ |
| | एकूण | | | | | | १०६.५२ | 8.८० | 909.६9 | 99.८० | 33.90 | ५६.६४ |

टीप:-

(वैशाली तांबे) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

[^] केरा सुरक्षा विमा करिता ₹ ०.११ लाख रकमेचा २५% विमा हप्ता लाभार्थीने भरणे बंधनकारक आहे.